

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2020/ 8233

दिनांक: 09.10.2020

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (नगरपालिका),
जयपुर, जोधपुर एवं कोटा।

विषय:- नगर निगम निर्वाचन के दौरान कोविड-19 से बचाव हेतु गाईडलाईन
भिजवाने के संबंध में।

महोदय,

आयोग द्वारा माह अक्टूबर, 2020 में होने वाले 6 नगर निगमों के आम चुनाव कराए जाने हैं। राज्य में कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आम चुनाव के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए आयोग द्वारा गाईडलाईन तैयार की गई है। तैयार की गई गाईडलाईन पत्र के साथ संलग्न है।

इस संबंध में निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि 6 नगर निगमों के निर्वाचन के दौरान उक्त गाईडलाईन की पूर्ण रूपेण पालना सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

नगरीय निकायों
की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19
संक्रमण से बचाव हेतु गाईडलाईन

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
द्वितीय तल, विकास खण्ड,
सचिवालय, जयपुर

1. सामान्य निर्देश

- 1) चुनाव कार्य में नियोजित प्रत्येक कार्मिक को मोबाईल में आरोग्य सेतु एप का उपयोग किये जाने हेतु पाबन्द किया जाए।
- 2) चुनाव कार्य में नियोजित प्रत्येक कार्मिक को फेस मास्क लगाना आवश्यक होगा।
- 3) निर्वाचन हेतु प्रशिक्षण एवं मतदान दल की खानगी के समय इस कार्य में नियोजित प्रत्येक कार्मिक के तापमान की जांच थर्मल स्कैनर से की जाए।
- 4) चुनाव कार्य हेतु चयनित प्रशिक्षण स्थल, प्रत्येक मतदान केन्द्र एवं मतगणना स्थल को उपयोग में लिए जाने से पूर्व आवश्यक रूप से सैनेटाइज करवाया जाए।
- 5) सार्वजनिक स्थान पर थूकना एवं पान, गुटका, तम्बाकू आदि का खाना केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।

2. नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति :-

- 1) नगर निकाय के प्रत्येक 25 वार्डों के लिए एक स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।
- 2) ऐसे नियुक्ति किए गए नोडल अधिकारी निर्वाचन के दौरान कोविड-19 से बचाव हेतु सभी आवश्यक उपाय किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त नोडल अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर निर्वाचन में नियोजित सभी अधिकारी/कार्मिकों को उपलब्ध कराए जाएं।
- 3) कोविड-19 से बचाव हेतु संबंधित समस्त प्रबन्ध उक्त नोडल अधिकारी की निगरानी एवं जानकारी में किये जाएंगे।

3. ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच

- 1) ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच यथा संभव बड़े हॉल में की जावे जिससे ईवीएम के FLC कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जा सके। उक्त हॉल को उपयोग में लेने से पूर्व सैनेटाइज किया जाए।
- 2) ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच के लिए आने वाले इंजीनियर्स की थर्मल स्क्रीनिंग कराने के उपरान्त ही FLC कार्य में नियोजित किया जाए तथा उक्त कार्य में नियोजित कार्मिकों को कार्य समाप्ति तक यथावत रखा जाए, जब तक कोई अन्य कारण उत्पन्न ना हो।
- 3) ईवीएम की FLC कार्य में नियोजित किये जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सैनेटाइज करने के उपरान्त ही हॉल में प्रवेश दिया जाए।
- 4) ईवीएम FLC स्थल पर आने व्यक्तियों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा।
- 5) FLC के बाद निर्वाचन हेतु मतदान मशीन (EVM) तैयार करते समय भी उक्त प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा।

4. नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, संवीक्षा एवं नाम वापसी :-

- 1) रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए सैनेटाईजर की व्यवस्था होगी।
- 2) नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। मास्क के बिना रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 3) नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक के साथ एक अन्य व्यक्ति को ही रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। अन्य अभ्यर्थियों एवं उनके साथ आने वाले व्यक्तियों को प्रतीक्षा हेतु कक्ष के बाहर बैठाने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए जिससे उचित सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना हो सके।
- 4) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट से नाम निर्देशन पत्र डाउनलोड कर उसका उपयोग कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक द्वारा व्यक्तिशः रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।
- 5) नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियत समय में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को उनके आने के क्रम के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पर्ची दिये जाने के पश्चात एक बड़े हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुये बैठाया जाए एवं उक्त क्रम में ही अभ्यर्थियों या उनके प्रस्तावकों को एक-एक करके रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश दिया जाए।
- 6) नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा बड़े हॉल में की जाएगी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जा सके।
- 7) सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए एक बार में केवल एक वार्ड के नामनिर्देशनों की संवीक्षा की जाये और इस प्रक्रिया का अनुपालन संपूर्ण संवीक्षा दौरान किया जाए। अभ्यर्थियों से आग्रह किया जाये कि वे अपने निर्वाचन अभिकर्ता, प्रस्तावक और अन्य एक व्यक्ति में से संवीक्षा के लिए जिसकी आवश्यकता हो उसे ही संवीक्षा के लिए साथ लाया जाये। अनावश्यक व्यक्ति को संवीक्षा के दौरान बाहर इंतजार करने के लिए कहा जाये।
- 8) नाम वापसी के समय पर भी एक बार में एक ही अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक को रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश हेतु अनुमति दी जाए।
- 9) नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक को रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिखित में इस आशय की सूचना (Notice) दी जायेगी कि परिणाम की घोषणा के बाद यदि कोई जुलूस, रैली या सभा आयोजित की जाती है तो कोविड-19 के संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाइन्स की पालना किया जाना आवश्यक होगा। यदि केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी गाईडलाइन का उल्लंघन किया जाता है तो आपदा प्रबंधन

अधिनियम, 2005 तथा आईपीसी की धारा 188 एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। ऐसी सूचना (Notice) की दूसरी प्रति पर अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक के हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5. मतदान कार्मिकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण :-

- 1) मतदान कार्य हेतु यथासंभव 55 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिकों को नियोजित नहीं किया जावे। गम्भीर रोगों से ग्रसित कार्मिक जिनके कोविड-19 से संक्रमित होने की आशंका अधिक है, को चुनाव कार्य में नियोजित नहीं किया जाए। किन्तु इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को ही मान्य किया जाए। उक्त के अलावा गर्भवती महिलाओं (Pregnent women) एवं धात्री मां (Lactating mothers) को नियुक्त नहीं किया जाए।
- 2) प्रशिक्षण स्थल पर हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी तथा सैनेटाईज करने की माकूल व्यवस्था की जाए।
- 3) प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा।
- 4) मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण में प्रशिक्षण स्थल की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षणार्थियों को चरणवार बुलाया जाए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके।
- 5) प्रशिक्षण में उपयोग में आने वाली सामग्री को भी सैनेटाईज कर उपयोग में लिया जाए।
- 6) कंटेंनमेंट जोन में निवास कर रहें कार्मिकों को जब तक निर्वाचन कार्य में नियोजित नहीं किया जाए तब तक उनका निवास का क्षेत्र कंटेंनमेंट जोन से मुक्त नहीं हो जाए।

6. मतदान दलों की रवानगी :-

- 1) मतदान दलों की रवानगी के दौरान भी रवानगी स्थल की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए या तो मतदान दलों को अलग-अलग सत्रों में या सुविधानुसार पृथक-पृथक स्थलों से रवाना किया जाए।
- 2) मतदान दल के लिए पर्याप्त मात्रा में मास्क, ग्लव्स उपलब्ध कराए जाए। इस सामग्री की गुणवत्ता एवं विशिष्टता (Quality and Specifications) का निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के परामर्श से किया जाए।
- 3) मतदान दल के कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं मतदान दलों की रवानगी के समय सभी कार्मिकों को यह स्पष्ट निर्देश प्रदान किए जाए कि वे मतदान के दौरान पूरे समय मास्क एवं ग्लव्स का उपयोग करेंगे।
- 4) मतदान दल को एक लीटर सैनेटाईजर स्प्रे की बोतल उपलब्ध कराई जाए।
- 5) मतदान दल की रवानगी से पूर्व प्रत्येक कार्मिक एवं वाहन चालक की मेडिकल टीम द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की जाए।

- 6) मतदान दलों को उनके गंतव्य मतदान केन्द्र के लिए खाना करने से पूर्व एवं मतदान पश्चात उनकी वापसी से पूर्व उपयोग में लिए जा रहे वाहन को समुचित रूप से सैनेटाईज किया जाए।

7. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार :-

- 1) अभ्यर्थियों द्वारा अनुमत तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी गाईडलाईन की पूर्ण रूपेण पालना की जाएगी।
- 2) अभ्यर्थियों द्वारा अनुमत तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी गाईडलाईन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा आईपीसी की धारा 188 एवं तत्समय प्रभावी अन्य विधियों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
- 3) अभ्यर्थियों द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार के समय पांच व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होना चाहिए। यहां यह स्पष्ट करना भी समीचीन है कि कोविड-19 के संबंध में केन्द्र एवं राज्य सरकार की गाईडलाईन में दिए गए मास्क/सैनेटाईजेशन/सामाजिक दूरी से संबंधित निर्देशों की पालना करनी होगी।
- 4) अभ्यर्थी या अन्य ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 पॉजिटिव है, उनके द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार नहीं किया जायेगा तथा अन्य ऐसे तरीके से जिससे कोविड-19 संक्रमण फैलने की संभावना हो चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा।

8. मतदान दिवस :-

- 1) मतदान केन्द्र पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा, केवल मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर ही मास्क हटाया जा सकेगा।
- 2) मतदान दिवस पर मतदान के लिए आने वाले प्रत्येक मतदाता को केन्द्र में प्रवेश से पहले सैनेटाईज करने के पश्चात् ही मतदान के लिए कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा।
- 3) सैनेटाईज करने का कार्य मतदान दल में नियुक्त पुलिसकमी/होमगार्ड/सिविल डिफेंस/एनसीसी द्वारा संपन्न किया जाएगा। इसके द्वारा ही मतदान के लिए लाईन में लगे मतदाताओं में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
- 4) मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के मतदान करने हेतु यथासंभव तीन पंक्तियाँ पुरुष, महिला एवं दिव्यांगजनों/वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक-पृथक होंगी।
- 5) प्रत्येक पंक्ति में मतदाताओं के लिए 6 फीट (दो गज) की दूरी पर खड़े रहने हेतु पूर्व से ही गोले निर्धारित किये जाएंगे जहाँ प्रत्येक मतदाता मतदान हेतु अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे। गोलों की संख्या से अधिक मतदाताओं को मतदान भवन से बाहर रखा जायेगा। मतदान केन्द्र के बाहर ऐसे मतदाता केन्द्र एवं राज्य सरकार की गाईडलाईन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे।

- 6) संक्रमण से बचाव के लिए मतदान बूथ पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेंट तथा मतदान कर्मियों की बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए की जाए। परन्तु यदि मतदान कक्ष की संरचना ऐसी है जिसमें अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेंट्स (Polling Agents) को अन्दर बैठाने से सामाजिक दूरी की पालना संभव नहीं है तो उन्हें कक्ष से बाहर इस तरह बैठाया जायेगा की कक्ष के अन्दर की कार्यवाही उनके द्वारा देखी जा सके और आवश्यकता पड़ने पर पीठासीन अधिकारी से बात की जा सके।
- 7) मतदान केन्द्र पर मतदान दल एवं मतदाताओं द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम हेतु जारी दिशा-निर्देशों की पालना की जाए।
- 8) मतदान के दौरान मतदान दल में नियुक्त किसी भी कार्मिक को कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर ऐसे कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से अन्य कार्मिकों से अलग कर दिया जाए। नोडल अधिकारी द्वारा ऐसे कार्मिक का कोविड परीक्षण करवाया जावे। परीक्षण के परिणाम की सूचना संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जाए।
- 9) प्रत्येक नगर निगम/नगर परिषद में प्रत्येक मतदान भवन पर स्थापित किए जाने वाले मतदाता सहायता केन्द्र पर पर्याप्त मात्रा में सैनेटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। मतदाता सहायता केन्द्र पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी।
- 10) अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर बनाये जाने वाले बूथ पर अपने स्तर से सैनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी एवं मतदाताओं की सहायता के कार्य में संलग्न व्यक्तियों द्वारा पूरे समय मास्क का उपयोग किया जायेगा। ऐसे बूथ पर अनावश्यक भीड़ नहीं हो इसके लिए एक बार में केवल एक व्यक्ति/मतदाता ही खड़ा हो सकेगा। कोविड-19 के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन की पालना की जायेगी। इन बूथों पर किसी भी तरह की प्रचार सामग्री नहीं रखी जायेगी।

9. ईवीएम एवं मतदान सामग्री का संग्रहण :-

- 1) मतदान सामग्री संग्रहण स्थल पर साबुन/पानी एवं सैनेटाइजर की माकूल व्यवस्था की जाए।
- 2) मतदान के पश्चात् ईवीएम एवं अन्य मतदान सामग्री के संग्रहण कार्य में भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाए तथा इस हेतु नियुक्त कार्मिकों द्वारा आवश्यक रूप से मास्क का उपयोग किया जाए।
- 3) मतदान सामग्री जमा कराने हेतु प्रत्येक काउण्टर पर कार्मिकों के लिए कतार में खड़े होने के लिए 6 फीट (दो गज) की दूरी पर गोले बनाए जाए।
- 4) इस दौरान यदि आवश्यकता पड़े तो अतिरिक्त पुलिसबल को नियुक्त किया जाए ताकि वे मतदान सामग्री जमा कराने वाले कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कतार बनाए रखें।

10. मतगणना :-

- 1) मतगणना स्थल पर रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी मतगणना दल के सदस्यों एवं प्रवेश करने के लिए अन्य अनुमत व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को मतगणना कक्ष में प्रवेश करने से पहले सैनेटाईज किया जाएगा।
- 2) मतगणना कार्य हेतु यथा संभव बड़े हॉल/स्थान का चयन किया जाए, जिससे मतदान कार्य में नियोजित कार्मिकों एवं अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ताओं के मध्य उचित दूरी रह सके। यदि मतगणना स्थल पर पर्याप्त संख्या में बड़े कमरों की उपलब्धता है तो रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अलग-अलग कमरों में समानान्तर अलग-अलग वार्डों की मतगणना कराई जा सकती है परन्तु एक कमरे में एक समय में एक ही वार्ड की मतगणना की जाए।
- 3) एक बार में एक ही वार्ड के अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं को मतगणना कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रक्रिया का सभी वार्डों की मतगणना के दौरान अनुपालन किया जाएगा।
- 4) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के मतगणना एजेंटों के बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि उन्हें कन्ट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित हो रहे परिणामों को देखने में सुविधा हो।
- 5) निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन का प्रमाणपत्र तथा शपथ दिलाने का कार्य जिला कलक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी के द्वारा एक साथ संपन्न करा लिया जाए। यदि कोविड-19 पॉजिटिव उम्मीदवार निर्वाचित हुआ है तो उसे निर्वाचन का प्रमाण पत्र एवं शपथ दिलाने का कार्य निर्वाचित अन्य सदस्यों को शपथ दिलाने के पश्चात् कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना करते हुए पृथक् से किया जाए।

11. अध्यक्षीय पदों का चुनाव:-

- 1) राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 78 के उपनियम (6) में यह प्रावधान है कि नगरीय निकाय सदस्य के नाम निर्देशन पत्रों के प्रस्तुतिकरण, संवीक्षा एवं नाम वापसी, से संबंधित प्रावधान यथा आवश्यक परिवर्तन सहित अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए लागू होंगे।
- 2) अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए गाइडलाइन में दिये गये निर्देशों का अनुपालन नियम 78 के अध्याधीन रहते हुए संपन्न किया जावे।
- 3) अध्यक्ष पद के निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 के संबंध में केन्द्र, राज्य सरकार एवं आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन में दिए गए मास्क/सैनेटाईजेशन/सामाजिक दूरी से संबंधित निर्देशों की पालना करनी होगी।

12. उपाध्यक्षीय पदों का चुनाव :-

- 1) उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए मीटिंग हेतु एक बड़े कक्ष/हॉल का चयन वार्ड सदस्यों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा ताकि रिटर्निंग अधिकारी एवं मतदान दल के सदस्य समस्त निर्वाचित सदस्यों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके।
- 2) उपाध्यक्ष के निर्वाचन की बैठक में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- 3) उपाध्यक्ष के निर्वाचन की बैठक में भाग लेने वाले सभी अनुमत व्यक्तियों को सैनेटाइज करने के पश्चात ही कक्ष/हॉल में प्रवेश दिया जाएगा।
- 4) बैठक में उपयोग में ली जाने वाली समस्त सामग्री को भी सैनेटाइज किया जाएगा।

नोट:-

1. किसी भी अभ्यर्थी द्वारा कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति को निर्वाचन/ मतदान/मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा तथा कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति किसी अभ्यर्थी का प्रस्तावक तो हो सकता है लेकिन ऐसा कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति प्रस्तावक के रूप में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने/संवीक्षा/नाम वापसी की प्रक्रिया में सुरक्षा की दृष्टि से सम्मिलित नहीं होगा।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोग के बजट मद से रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय, प्रशिक्षण स्थल, मतदान दलों की रवानगी स्थल, मतदान केन्द्र, मतगणना केन्द्र एवं अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन एवं सामग्री संग्रहण स्थल पर पर्याप्त मात्रा में सैनेटाइजर, साबुन एवं पानी की व्यवस्था की जायेगी।
3. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दल के सदस्यों के ठहरने की व्यवस्था करते समय यह ध्यान रखा जाए कि मतदान दल के सदस्यों में उचित सामाजिक दूरी रहे एवं ठहरने के स्थान पर स्वच्छता एवं सफाई का पूर्ण ध्यान रखा जाए।

30.10
उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर